(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

Notification No. 11/2021 – State Tax (Rate)

Dated: The March, 2022

No. F.3(150)/Fin.(Exp-I)/2021-22/DS-I//37 - In exercise of the powers conferred by subsection (1) of section 9 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi, in the Department of Finance (Expenditure-IV), No. 39/2017-State Tax (Rate), dated the 27th November, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F3(56)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/762, dated the 27th November, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, against S. No. 1, -

- (i) in column (3), for the entry, the entry "(a) Food preparations put up in unit containers and intended for free distribution to economically weaker sections of the society under a programme duly approved by the Central Government or any State Government;
- (b) Fortified Rice Kernel (Premix) supply for ICDS or similar scheme duly approved by the Central Government or any State Government." shall be substituted;
- (ii) in column (4), in the entry, for the words "food preparations" at both the places, where they occur, the word "goods" shall be substituted;
- 2. This notification shall come into force with effect from 1st day of October, 2021.

Note: - The principal notification No. 39/2017-State Tax (Rate), dated the 27th November, 2017, was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* number F3(56)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/762, dated the 27th November, 2017.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(Manoj Kumar) Dy. Secretary I (Finance)

No. F.3(150)/Fin.(Exp-I)/2021-22/DS-I//37

Copy forwarded for information to:-

- 1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
- 2. The Additional Chief Secretary (GAD), Govt of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
- 3. The Principal Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
- 4. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
- 5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I. P. Estate, New Delhi.
- 6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I. P. Estate, New Delhi.
- 7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
- 8. Joint Director, State Resources Division, Finance Department, Govt of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
- 9. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
- 10. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
- 11. Website.

12. Guard File.

(Manoj Kumar) Dy. Secretary I (Finance)

Dated: The /O March, 2022

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार वित्त (व्यय–I) विभाग दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002 अधिसूचना संख्या 11/2021–राज्य कर (दर)

दिनांकः / ं मार्च, 2022

सं०फा० 03(150)/वित्त (व्यय—I)/2021—22/डीएस— I//37: दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 9 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, के वित्त विभाग (राजस्व—I) की अधिसूचना संख्या 39/2017—राज्य कर (दर), दिनांक 27 नवंबर, 2017, जिसे सं0फा० 03(56)/वित्त (राजस्व—I)/2017—18/डीएस—VI/762, दिनांक 27 नवंबर, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग—IV, में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:—

- 1. उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रमांक 1 के सामने,
- (i) कॉलम (3) में, प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "(क) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित किसी कार्यक्रम के अधीन समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को निःशुल्क वितरण के लिए आशयित और यूनिट अभिधानों में रखा खाद्य निर्मितियां;
- (ख) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित आईसीडीएस या इसी तरह की योजना में आपूर्ति के लिए फोर्टिफाइड चावल कर्नेल (प्रीमिक्स)'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) कॉलम (4) में, प्रविष्टि में, "खाद्य निर्मितियों" शब्द के लिए दोनों जगहों पर जहां वे हैं "माल" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- 2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2021 से लागू होगी।

नोटः प्रधान अधिसूचना संख्या 39/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 27 नवंबर, 2017, जिसे सं०फा० 03(56)/वित्त (राजस्व—I)/2017-18/डीएस-VI/762, दिनांक 27 नवंबर, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग-IV, में प्रकाशित किया गया था।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

> (मनीज कुमार) उप सचिव– I (वित्त)

सं0फा0 03(150) / वित्त (व्यय- I) / 2021-22 / डीएस- I //37

दिनांकः 🖊 मार्च, २०२२

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारितः

1 माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।

2 अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग — चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।

3 प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

4 आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली।

5 माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

6 वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

7 अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

8 संयुक्त निदेशक, राज्य संसाधन विभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

9 नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।

10 मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

11 वेब साईट।

12 गार्ड फाइल।

(मनोज कुमार)

उप सचिव- I (वित्त)